

11.1 प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं निर्धारण की पद्धति

राजस्थान सरकार के पुनरक्षित वेतनमान-2006 (1.6.2010) अन्तर्गत समस्त अधिकारी, मंत्रालय संवर्ग, तकनीकी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों तथा समय-समय पर इनमें संशोधन/वृद्धि के अनुसार भुगतान किया जाता है। निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों की मासिक वेतन/पारिश्रमिक का पूर्ण विवरण वे जिस कार्यालय में नियुक्त है वहां उपलब्ध है।